an>

Title: Need to take steps to conduct panchayat elections fairly.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, पंचायती राज संस्थाओं में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष पदों के अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली चुनाव प्रक्रिया का संचालन राज्यों में पारित पंचायत राज कानूनों व राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनावों की इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में वोटों की खरीद फरोख्त व सरकारी तंत्र के दुरूपयोग से संबंधित घटनाएं आम हो गई हैं। इस प्रकार चुन कर आए जनप्रतिनिधि भी वोटों की खरीद फरोख्त में लगाए गए पैसे को पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार कर के वसूल करते हैं। इस प्रकार यह भ्रष्टाचार का एक घेरा बन रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में मीडिया व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस समस्या को ले कर गंभीर टिप्पणियां की हैं।

महोदय, यह एक गंभीर मुद्दा है। पंचायती राज की 2013 में जारी की गई बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने भी इस कमी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विजिलेंस सिस्टम को संस्थागत करने, राज्य चुनाव आयुक्तों की स्थायी समितियों के साथ मिल कर चुनावों के दिशा निर्देश, संचालन व निरीक्षण हेतु आचार संहिता बनाने के साथ-साथ अध्यक्ष पदों पर निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष चुनावों को नियमानुसार सख्त देखरेख में करने की सिफारिश की थी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में हाल में संपन्न हुए चुनावों में पैसे के लेन-देन से संबंधित गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सुधार हेतु ठोस कदम उठाए जाएं। चुनाव प्रक्रिया में खामियों के गठन विश्लेषण हेतु एक आयोग का गठन किया जाए तथा जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष चुनावों के स्थान पर प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचन पर विचार किया जाए।

HON. CHAIRPERSON:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajendra Agrawal.